

कार्यालय
पत्रांक:सीएफओ/मेमो/अग्नि सुरक्षा-2017
शेवा में,

मुख्य अग्निशमन

अधिकारी बाराबंकी
दिनांक:अगस्त 31, 2017

डायरेक्टर
ए.आर.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा०लि०,
ग्राम-सन्दौली सफेदाबाद, तहसील-नवाबगंज,
जनपद-बाराबंकी।

सन्दर्भ:-पत्रांक:शून्य दिनांक:24.08.2017।

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या शून्य दिनांक:24.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें परियोजना अल्प आयवर्ग (एल0आई0जी0) हाउसिंग का मानचित्र ग्राम संदौली सफेदाबाद तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में प्रस्तावित हैं। मानचित्र में ब्लॉक का ग्राउंड कवर एरिया 388 वर्ग मीटर है तथा ब्लॉक ऊंचाई 14.95 मीटर है। उपरोक्त परियोजना का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक(टी/एम) नि० पुलिस महानिदेशक उ०प्र० फायर सर्विस लखनऊ के पत्र संख्या:एफएस/1076-2012 दिनांक:मई 13, 2016 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया के निर्धारण में निम्न कार्यों के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक है।

1. 15 मीटर या इससे ऊँचे बहुमंजिले भवन के निर्माण एवं अग्निशमन व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु।
2. सन्दर्भित प्रकरण नेशनल विल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2016 के पार्ट 4 फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी के क्लाज 1.2(a,b 1) से भी अच्छादित नहीं है।
3. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के क्लाज 3.11.3.2 नए भवन के पैरा (ii) चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, की अनुज्ञा के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रकरण में भू आच्छादन तथा ऊँचाई दोनों कम हैं अतएव अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

24/8/17
(आर० सी० सिन्हा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
बाराबंकी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक:

नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या- १७६/वि०प्रा०/सी०टी०पी०/२०१७-१८

दिनांक: ०५/०८/२०१७

सेवा में,

ए आर जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०
मेलरोज स्क्वायर, ६सी/जीएच-०१,
वृन्दावन योजना, रायवरेली रोड,
तेलीबाग,
लखनऊ-२०१३०५

विषय:

जन सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक: १४.१२.२०१६ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा ग्राम संदौली उमरपुर तहसील नवावगंज जिला बाराबंकी के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। तदक्रम में सूचित करना है कि प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम-संदौली उमरपुर तहसील-नवावगंज जिला-बाराबंकी, लखनऊ विकास क्षेत्र की सूची में अंकित नहीं है।

भवदीय,

(टी०पी० सिंह)

नगर नियोजक

प्रतिलिपि- स०ज०सू०अधि०, ल०वि०प्रा० को उनके पत्र संख्या-ई-८३०, दिनांक: ३०.१२.१६ के क्रम में सूचनार्थ।

(टी०पी० सिंह)

नगर नियोजक